14.11.2017 पत्रावली पेश हुई। साथ प्रतिवादी के रूप में पटवारी हलका रिपोर्ट पेश हुई। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली 16.11.2017 को पेश हो।

16.11.17 पत्रावली पेश हुई। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण State द्वारा जरिये तहसीलदार, श्री पृथ्वीराज, श्री सुरजाराम, श्री जितेन्द्र निवासी 5E छोटी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत लाया गया था जिसे 38/12 पर पंजीकृत किया गया। प्रकरण में चक 5E छोटी के मुरब्बा नं. 8 के किला 1 में .228, 2 में .228, किला 10, 11, 20, 21 के 1.012 कुल 1.468 हैक्टेयर नहरी खातेदारी भूमि पर अवैध निर्माण तथा बगैर किस्म परिवर्तन कराये गैर कृषि उपयोग करने के कारण वाद दर्ज हुआ था। प्रकरण में नोटिस जारी हुए जो बाद तामील पुनः प्राप्त हुए। प्रतिवादियों की ओर से जवाब पेश हुए। मौके की ताजा रिपोर्ट मंगवाई गई तथा अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पाया कि मुताबिक स्टेट रिपोर्ट दिनांक 10.11.17 को विवादित भूमि के किला 1, 2, 10, 11, 20, 21 में किला नं. 1, 10 तथा 21, UIT श्रीगंगानगर के नाम गैर मुमकिन दर्ज हो चुके हैं तथा किला 11 तथा 20 में भी पट्टे UIT के द्वारा आवासीय बनाये जा चुके हैं। किला नं. 2

प्रकरण सं0 38/12 अनवान स्टेट बनाम पृथ्वीराज वगै०

Continuation Note Sheet

नहरीमय खाला दर्ज है। जिसमें खातेदार द्वारा 40x45 वर्गफुट में रिहाइशी मकान व पशुओं का शेड बनाकर उपयोग कर रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि के 1/50 भाग का उपयोग आवासीय कर सकता है। अत: इस प्रकरण में यह पाया जाता है कि विवादित भूमि रकबा 1.468 हैक्टेयर का गैरकृषि उपयोग राजकीय आदेशों व प्रावधानों के तहत ही हो रहा है तथा इस क्षेत्र के पट्टे UIT द्वारा ही जारी किये गये हैं। अत: प्रकरण को खारिज कर निर्णित कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली तकमील हो कर बाद नंबर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

(यशपाल आहूजा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A/5